प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला दौसा, थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022 प्र0सू0रि0 सं. 203/2022 दिनांक 25/5/2022
2. (I) अधिनियम ... .धारायें. 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018
   (II) अधिनियम .... धारायें .....
   (III) अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 519 समय 6.45 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन व दिनांकः– मगंलवार, 24.05.2022 समय 1.45 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 23.05.2022 समय 01.00 पीएम
4. सूचना की किस्म :– लिखित
5. घटनास्थल :– कार्यालय उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– करीब 30 कि0मी0 लगभग, पूर्व दिशा में
   (ब)पता – कार्यालय उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा
   बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री कमल सिंह गुर्जर
   (ब) पिता/पति का नाम – श्री रामावतार
   (स) जन्म तिथी/वर्ष .....करीब 37 वर्ष..
   (द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय– कृषि
   (ल) पता– निवासी ग्राम मरियाडा, तहसील सिकराय, जिला दौसा
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : – श्री सतीश कुमार पुत्र श्री रोशनलाल, उम्र 43 वर्ष, जाति जाटव, निवासी नया बास, तहसील वैर, जिला भरतपुर हाल गिरदावर, कार्यालय उप तहसील सिकन्दरा, जिला दौसा
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... कोई नहीं.
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ट्रेप रिश्वती राशि– रिश्वती राशि 7,000/–रूपये
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .....रिश्वती राशि 7,000/–रूपये
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि परिवादी श्री कमल सिंह गुर्जर पुत्र श्री रामावतार गुर्जर जाति गुर्जर, उम्र 37 साल निवासी ग्राम मरियाडा, तहसील सिकराय जिला दौसा ने दिनांक 23.05.2022 को समय 01.00 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित होकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि हमारी पैतृक जमीन का नामान्तकरण हम सभी वारीसान के नाम खुल गया है, जिसमें से कुछ वारीसान का हक त्याग करवाने के लिए उप तहसील सिकन्दरा गये, जहा पदस्थापित गिरदावर श्रीमान सतीश जाटव द्वारा कहा गया कि मै आपका सारा काम करवा दुंगा तथा आप जिसका हक त्याग करवाना चाहते हो वो मै करवा दुगां, मुझे आप 10,000 रूपये दे देना। अतः गिरदावर ने मुझसे मेरे जायंज काम के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। गिरदावर सतीश जाटव से मेरी कोई दुश्मनी नही है, नही कोई पुराना लेन देन बकाया है, फिर भी मुझसे 10,000 रूपये की मांग की जा रही है, जिसे मै नही देना चाहता हूँ और मै गिरदावर को रगें हाथ पकडवाना चाहता हूँ। कृप्या कार्यवाही करें। परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से मजीद दरियाफत की गई तो परिवादी द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट में अकिंत तथ्य सही होना एंव

लिखित रिपोर्ट अपनी हस्त लिखित होना ताईद किया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट के अवलोकन व मजीद दरियाफत से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाये जाने पर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी के साथ कानि0 श्री राकेश कुमार 70 को मांग सत्यापन हेतु कार्यालय उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा **के लिए समय करीब 01.45 पीएम पर रवाना किया। तत्पश्चात समय करीब 6.00 पीएम** श्री राकेश कुमार कानि0 70 मय परिवादी श्री कमल सिंह गुर्जर के कस्बा सिकन्दरा जिला दौसा से बाद मांग सत्यापन कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द्द शुद्वा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मै और आपका कानि0 श्री राकेश शर्मा यहा से रवाना होकर संदिग्ध आरोपी श्री सतीश जाटव गिरदावर के किराये का कमरा कस्बा सिकन्दरा के नजदीक पहुॅचकर मोटरसाईकिल को एक साईड में खडी की। इसके बाद मै तो वाईस रिकॉर्डर चालूकर उस कमरे में श्री सतीश जाटव गिरदावर के पास चला गया और आपका कानि0 श्री राकेश शर्मा उस कमरे के बाहर ही खडा हो गया। मै कमरे के अन्दर गया तो मुझे गिरदावर जी कमरे में बैठे हुये मिले जिनको मैने मेरे हकत्याग का कार्य करवाने बाबत वार्ता की तो श्री सतीश गिरदावर जी ने मुझे कहा कि मैने आपको बताया था वो कर दो आपका कार्य हो जायेगा। इस पर मैने गिरदावर जी को कहा कि साहब आपने सुबह बताये वो तो ज्यादा है। इस पर गिरदावर जी ने कहा कि काम के हिसाब से तो ज्यादा नही है। इस पर मैने उनको उनकी मांग अनुसार 2,000 रूपये देते हुये 7,000 रूपये और देने के लिए कहा तो उन्होने मुझे कहा कि जरिये फोन वार्ता कर 7,000 रूपये ले आना 1,000 रूपये कम होकर कुल 9,000 रूपये हो जायेगे। इसके बाद मेरे से मेरा, मेरे भाई, चाचा, दादी, मां व भुआ के आधार कार्डो की फोटोकॉपी कार्यवाही करवाने के लिये प्राप्त कर रख ली। मैने उसकी सभी बातो को इस टेप में टेप कर लिया था। इसके बाद मै वहा से रवाना होकर श्री राकेश शर्मा कानि0 के पास आया और उनको ये सभी बाते बताई और फिर हम दोनों वहा से रवाना होकर आपके कार्यालय में आये। परिवादी की बातों की ताईद श्री राकेश कुमार कानि0 ने भी की। इसके बाद डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालूकर सूना तो उसमें आई वार्ता में संदिग्ध आरोपी द्वारा 9,000 रूपये रिश्वत की मांग कर मांग सत्यापन के समय 2,000 रूपये प्राप्त कर शेष राशि 7,000 रूपये कल दिनांक 24.05.2022 को फोन कर देने के लिए कहना स्पष्ट रूप से पाया गया तथा परिवादी द्वारा बताई गई की बातो की पुष्टी हुई। टेप रिकॉर्डर को वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द वापसी विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। परिवादी को संदिग्ध आरोपी द्वारा मांग की गई रिश्वती राशि अपने साथ लेकर दिनांक 24.05.2022 को समय 10.00 एएम पर गोपनीयता बनाये रखते हुये कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 24.05.2022 को पाबन्द शुद्वा परिवादी श्री कमल सिंह गुर्जर कार्यालय में उपस्थित आया जिससे संदिग्ध आरोपी श्री सतीश कुमार गिरदावर को उसकी मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि 7,000 रूपये बाबत पूछा तो परिवादी ने अपने पास होना बताया। परिवादी को कार्यालय में ही बैठाया गया। इसके बाद पूर्व के जरिये दूरभाष तलबी शुदा दो स्वतन्त्र गवाह सर्व श्री समुन्दर सिंह, वरिष्ठ सहायक एवं श्री रिंकू गुर्जर, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड दौसा कार्यालय में उपस्थित आये। जिनका परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों गवाहान का परिवादी से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 23.05.2022 को पेश किया गया लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अकिंत तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने अपना हस्त लिखित होना तथा उसमें अकिंत सभी तथ्य सही होना ताईद किया। गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद परिवादी तथा संदिग्ध आरोपी श्री सतीश कुमार गिरदावर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 23.05.2022 को टेप किया गया था एंव जिसको सुनकर सुरक्षा की दृष्टी से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दौनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुद्वा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर

की सहायता से सूना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द–ब–शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुद्वा वार्ता में आरोपी श्री सतीश कुमार गिरदावर की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री कमल सिंह गुर्जर ने की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता की डीवीडी बनाने हेतु तीन खाली सी0डी0 मगंवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की कम्प्युटर की सहायता से बारी–बारी से तीन डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर तीनों सिडियों पर मार्क– A-1, A-2, A-3 अकिंत कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री कमल सिंह गुर्जर के हस्ताक्षर करवाकर उक्त दो डीवीडी मार्क A-1, A-2 को प्लास्टिक के कवर में अलग–अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित दोनों डीवीडी को अलग–अलग एक सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1, A-2 अकिंत कर, सील चिट चस्पाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर जमा मालखाना करवाया गया तथा तीसरी डीवीडी मार्क A-3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने परिवादी श्री कमल सिंह गुर्जर को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 14 नोट कुल 7,000/–रू0 निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर फर्द पेशकशी व सुपुद्वर्गी नोट में अकिंत कर नोटो पर श्री रामखिलाडी कानि0 52 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 7,000 रूपये के नोटों को रखकर उन पर श्री रामखिलाडी कानि0 52 से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री कमल सिंह गुर्जर की जामा तलाशी गवाह श्री समुन्द्र सिंह से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 7,000/–रू. के नोट श्री रामखिलाडी कानि0 52 से परिवादी की पहनी हुई पेंट की बगल की बाई जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उसे देवे और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोड़ियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में रामखिलाडी कानि0 52 के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात पाउडर लगाने वाले श्री रामखिलाडी कानि0 52 के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर आरोपी एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। तत्पश्चात समय करीब 12.50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री कमल सिंह गुर्जर व स्टाफ सदस्य सर्व श्री दौलतराम हैड कानि. नं.

101, श्री झाबर सिंह कानि0 83, श्री अशोक कुमार कानि0 505, श्री राकेश कानि0 70, श्री मुकेश कुमार कानि. 101, श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155 व श्री प्रेमप्रकाश कानि. नं. 382 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के प्राईवेट वाहन एवं सरकारी वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही कार्यालय उप तहसील सिकन्दरा, जिला दौसा के लिए रवाना होकर कस्बा सिकन्दरा के नजदीक पहुॅचे जहा पर दोनों वाहनों को रोड के एक साईड में खडा करवाकर गवाहान के सामने परिवादी के मोबाईल नंबर 9929185527 से आरोपी के मोबाईल नंबर 9413179454 पर वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने परिवादी को उप तहसील कार्यालय सिकन्दरा में होना एवं परिवादी को वहीं बुलाया गया। आरोपी से हुई वार्ता अनुसार मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उप तहसील सिकन्दरा के नजदीक पहुॅचा, जहा पर दोनों वाहनों को मैन रोड के एक साईड में खडा करवाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत कर उप तहसील कार्यालय सिकन्दरा के लिए रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचे उतरकर परिवादी के पीछे–2 रवाना होकर अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये उप तहसील कार्यालय सिकन्दरा के आस पास खडे होकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात समय करीब 1.45 पी. एम. पर परिवादी श्री कमल सिंह गुर्जर ने कार्यालय उप तहसील सिकन्दरा, जिला दौसा के मैन गेट से अपने सिर पर हाथ फेरकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निर्धारित सिर पर हाथ फेरकर ईशारा किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि साहब मैं अभी–अभी आपके निर्देशानुसार श्री सतीश कुमार गिरदावर के पास उनके कहे अनुसार कार्यालय उप तहसील सिकन्दरा पर गया, तो वह मुझे तहसीलदार कक्ष में कुर्सी पर बैठे हुए मिले। मैं उनके गेट के बाहर खडा हो गया। तब वह मुझे देखकर बाहर आये और अपने मोबाईल पर बात करते हुए मुझे उक्त तहसील के गेट पर लाये। तब मैंने सतीश गिरदावरजी को मेरी दादी, मां, भुआ एवं बहनों की पासपोर्ट साईज फोटो देकर कहा कि साहब अब मेरा हक त्याग का कार्य करवा देना, तब उन्होनें मेरे से फोटो प्राप्त करते हुए मुझे कहा कि पेमेन्ट दो तब मैंने उनके मांगे अनुसार उनकी तयशुदा पाउडरयुक्त रिश्वती राशि 7000/–रूपये अपनी जेब से निकालकर उन्हें दिये तो उन्होने अपने बांये हाथ से प्राप्त कर दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की बांई जेब में रख लिये, जो अभी–भी उनकी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट के पीछे की जेब में ही रखे हुए है। इसके बाद वह वापस उसी कक्ष में चले गये और मैंने आपको निर्धारित ईशारा किया। गिरदावरजी अभी तहसीलदार के कक्ष में ही बैठे हुए है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार शर्मा परिवादी के पीछे–पीछे तहसीलदार कक्ष की तरफ आये, तो मैन गेट से ही परिवादी ने उक्त कक्ष में कुर्सी पर बैठे जीन्स की पेन्ट, शर्ट एवं सिर पर टोपी लगाये हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि साहब यही सतीश कुमार गिरदावर जी है, जिन्होनें अभी–अभी मेरे से मेरी पैतृक जमीन का हक त्याग करवाने की एवज में अपनी मांग अनुसार मांग कर 7000/–रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की बांई जेब में रखे है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना, गवाहान व ब्यूरो दल का परिचय दिया जाकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सतीश कुमार पुत्र श्री रोशनलाल, उम्र 43 वर्ष, जाति जाटव, निवासी नया बास, तहसील वैर, जिला भरतपुर हाल गिरदावर, कार्यालय उप तहसील सिकन्दरा, जिला दौसा होना बताया। तत्पश्चात् श्री सतीश कुमार गिरदावर को परिवादी श्री कमल सिंह गुर्जर से मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 23.05.2022 को 9000/–रूपये रिश्वत की मांग कर 2000/–रूपये मौके पर ही प्राप्त करने एवं अपनी उक्त मांग की अनुशरण में परिवादी की पैतृक जमीन का उसकी दादी, मां, भुआ एवं बहनों से परिवादी, उसके भाई एवं उसके चाचाओं के नाम हक त्याग करने की कार्यवाही करने की ऐवज में आज दिनांक 24.05.2022 को 7000/–रूपये प्राप्त की गई रिश्वत राशि बाबत पूछा तो आरोपी श्री सतीश कुमार, गिरदावर ने बताया कि साहब श्री कमल सिंह गुर्जर दिनांक 23.05.2022 को मेरे पास मेरे कमरे पर आया और मुझे कहा कि मेरी पैतृक जमीन का मेरी दादी, मां, भुआ व बहनों से हक त्याग की कार्यवाही करवाओ। मैंने इसको कहा कि हक त्याग की कार्यवाही रजिस्टर्ड होती है, आप वो लेकर आ जाओ, तब इसने मुझे कहा कि साहब मैं समझता नहीं हूं, आप

सही से कार्यवाही करवा दो। इस पर मैंने इनको 9000/–रूपये देने के लिये कहा, तब इसने मुझे 2000/–रूपये तो उसी टाईम दे दिये थे एवं शेष 7000/–रूपये एवं फोटो हक त्याग करवाने के लिये आज देने के लिये कहा था। जिस पर ये अभी कुछ समय पहले मुझे फोन कर पूछा कि साहब कहां पर हो, तब मैंने इनको कहा कि मैं तहसील कार्यालय में हूं, आप यहीं आ जाओ। इसके बाद यह अभी–अभी मेरे पास यहां तहसीलदार के कक्ष के गेट पर आया। तब मैं इनको देखकर इनके पास गया और तहसील के मैन गेट पर जाकर हम बातचीत करने लगे, तब कमल सिंह गुर्जर ने मुझे अपनी दादी, मां, भुआ एवं बहनों की पासपोर्ट साईज फोटो देकर कहा कि साहब अब मेरी हक त्याग की कार्यवाही जल्दी करवा देना और अपने पास से 7000/–रूपये निकालकर मुझे दिये, तो मैंने इनसे रूपये बांये हाथ से लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की बांई जेब में रख लिये जो अभी–भी मेरी जेब में ही रखे हुए है। मैंने इनसे रिश्वत की कोई मांग नहीं की। इस पर पास ही खडे परिवादी से पूछा तो परिवादी ने कहा कि साहब गिरदावर जी झूठ बोल रहे है, इन्होंने मेरे से हमारी पैतृक जमीन का मेरी दादी, मां, भुआ एवं बहनों से हक त्याग करवाने की एवज में दिनांक 23.05.2022 को 9000/–रूपये रिश्वत की मांग कर 2000/–रूपये मौके पर ही प्राप्त कर लिये एवं 7000/–रूपये मुझे आज फोन पर बात करके देने के लिये कहा था। जिस पर मैंने इनके कहे अनुसार इनसे जरिये दूरभाष वार्ता कर उप तहसील कार्यालय सिकन्दरा में आकर इनके मांगने पर इनको 7000/–रूपये दिये, जो इन्होंने मेरे से प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई जीन्स की पीछे की बांई जेब में रख लिये, जो अभी भी इनके पास ही है। इसके बाद आरोपी सतीश कुमार, गिरदावर से वापस पूछा तो वह कुछ नही बोला और चुपचाप खडा रहा। तत्पश्चात आरोपी श्री सतीश कुमार, गिरदावर के दोनों हाथों को स्टाफ सदस्यों से पकडने बाबत कहा तो श्री राकेश कानि. नं. 70 ने आरोपी का दाहिना हाथ एवं श्री अशोक कुमार नं. 505 ने आरोपी का बायां हाथ कलाई के उपर से अलग–अलग पकड लिये। इसके बाद उक्त कक्ष में रखे पानी के कैम्पर से दो साफ कांच के गिलासों में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री सतीश कुमार गिरदावर के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियों/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग गदमैला तथा बायें हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे मौजूदगान ने देखकर दोनों गिलासों के धोवन का रंग गदमैला व हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो–दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1, R-2 व L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके पश्चात् श्री सतीश कुमार गिरदावर की पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की बांई जेब की जामा तलाशी गवाह श्री रिंकू गुर्जर से लिवाई गई तो श्री सतीश कुमार गिरदावर की पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की बांई जेब में कुछ रूपये होना बताया जिनको गवाह से बाहर निकलवाकर दोनों गवाहान से गिनने व कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट के नंबरों से मिलान करने बाबत कहा, तो गवाह श्री रिंकू गुर्जर ने आरोपी की पहनी हुई जीन्स की पीछे की बाई जेब से कुछ रूपये निकालकर 500–500 रूपये के 14 नोट कुल 7,000/–रूपये होना व दोनों गवाहान ने नोटों के नंबरों का मिलान कर फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान कर दोनों के नम्बर एक समान होना बताया। बरामदशुदा नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थीकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके पश्चात् आरोपी के कहे अनुसार उसके मिलने वाले से बाजार से एक नया लोवर मंगवाकर आरोपी श्री सतीश कुमार गिरदावर की उक्त जीन्स की पेन्ट बैरंग नीला, जिसकी पीछे की बांई जेब में रिश्वत राशि 7000/–रूपये प्राप्त कर रखी गई थी एवं जो उक्त जेब से बरामद हुई है। उक्त पेन्ट को शालीनता पूर्वक श्री सतीश कुमार गिरदावर के बदन से उतरवाया जाकर मंगवाया गया लोवर पहनाया गया। तत्पश्चात् एक अन्य साफ कांच के गिलास में पूर्व की भॉति सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाकर उक्त पेन्ट की पीछे की बांई जेब, जिससे रिश्वती राशि बरामद की गई है, उक्त जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबोया जाकर धोवन लिया गया तो, धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी मौजूदगान ने देखकर धोवन का रंग गुलाबी होना

स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त कांच के गिलास के धोवन को दो अन्य साफ कांच की शीशीयों में आधा–2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई तथा उक्त पेन्ट बैरंग नीला की पीछे की बांई जेब जिससे रिश्वती राशि बरामद की गई है, को सुखाकर उसकी जेब पर लाल पैन का गोला कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "P" अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी से प्राप्त वॉइस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो उसमें परिवादी व श्री सतीश कुमार गिरदावर के मध्य रिश्वत लेन–देन की वार्ता टेप होना पाई गई। आरोपी से परिवादी द्वारा हक त्याग करवाने के लिये दिये गये आधार कार्ड से संबंधित दस्तावेज बाबत पूछा गया तो अपने कमरे पर होना बताया। परिवादी व आरोपी से आपसी रंजिश, दुश्मनी व उधार के लेन–देन बाबत पूछा तो दोनों ने ही इंकार किया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री समुन्दर सिंह, वरिष्ठ सहायक एवं श्री रिंकू गुर्जर, कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री कमल सिंह गुर्जर के समक्ष परिवादी श्री कमल सिंह गुर्जर व आरोपी श्री सतीश कुमार गिरदावर के मध्य दिनांक 24.05.2022 को रिश्वत राशि लेन–देन के समय हुई वार्ताओं के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को जो ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी से प्राप्त कर चालूकर सुना जाकर वापिस बन्द कर अपने कब्जे में रखा गया था, को अपने पास से निकालकर वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से सुना गया तथा उक्त में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की शब्द–ब–शब्द समझ में आई वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपी श्री सतीश कुमार गिरदावर की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री कमल सिंह गुर्जर द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् वार्ता की डीवीडी बनाने हेतु तीन खाली डीवीडी ट्रेप बाक्स से ली जाकर तीनों को खाली होना सुनिशचित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिशचित कर तीनों डीवीडी पर मार्क– B–1, B–2 व B –3 अकिंत कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री कमल सिंह गुर्जर के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क B–1 व B–2 को अलग–अलग प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर कवर सहित डीवीडी मार्क B–1 व B–2 को अलग–अलग एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली पर भी मार्क B–1 व B–2 अकिंत कर, सील मौहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा तीसरी डीवीडी मार्क B–3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात आरोपी के किराये के कमरे की जरिये फर्द खाना तलाशी ली गई। परिवादी से सम्बन्धित रिकॉर्ड आधार कार्डो को जरिये फर्द जब्त किया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका जरिये फर्द कशीद किया गया। फर्द प्राप्ति नमूना आवाज आरोपी तैयार की गई। आरोपी श्री सतीश कुमार गिरदावर को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में जरिये फर्द गिरफतार किया गया। ट्रेप कार्यवाही के उपयोग में ली गई नमूना ब्राशसील नम्बर–31 को तुडवाकर जरिये फर्द नष्ट करवाया गया। इसके बाद परिवादी को उसके निवास स्थान के लिए रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व स्टाफ सदस्यों के मय गिरफतार शुद्वा आरोपी श्री सतीश कुमार गिरदावर, जब्त शुद्वा आर्टीकल्स, रिश्वती राशि लैपटॉप प्रिन्टर को हमराह लेकर एक प्राईवेट वाहन एंव सरकारी वाहन मय चालक के कार्यालय उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा से रवाना होकर एसीबी कार्यालय दौसा पहुँचा। ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त शुद्वा समस्त आर्टीकल्स व सील्ड शुद्वा शीशीयॉ व जब्त शुद्वा रिश्वती राशि नम्बरी 7,000 रूपये को जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान को रवाना किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री सतीश कुमार पुत्र श्री रोशनलाल, उम्र 43 वर्ष, जाति जाटव, निवासी नया बास, तहसील वैर, जिला भरतपुर हाल गिरदावर, कार्यालय उप तहसील सिकन्दरा, जिला दौसा एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री कमल सिंह गुर्जर पुत्र श्री रामावतार गुर्जर जाति गुर्जर, उम्र 37 साल निवासी ग्राम मरियाडा, तहसील सिकराय जिला दौसा से उसकी पैतृक जमीन का उसकी दादी, मां,

भुआ एवं बहनों से परिवादी, परिवादी के भाई एवं उसके चाचाओं के नाम हक त्याग की कार्यवाही करवाने की ऐवज में दिनांक 23.05.2022 को गोपनीय मांग सत्यापन के दौरान 9000/–रूपये रिश्वती राशि की मांग कर 2000/–रूपये गोपनीय मांग सत्यापन के दौरान मौके पर ही प्राप्त कर शेष रिश्वती राशि 7000/–रूपये अपनी मांग के अनुशरण में आज दिनांक 24.05.2022 को परिवादी से मांग कर प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की बांई जेब में रखना तथा उक्त रिश्वती राशि आरोपी के बदन पर पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की बांई जेब से बरामद होने पर आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री सतीश कुमार पुत्र श्री रोशनलाल, उम्र 43 वर्ष, जाति जाटव, निवासी नया बास, तहसील वैर, जिला भरतपुर हाल गिरदावर, कार्यालय उप तहसील सिकन्दरा, जिला दौसा के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

(महेन्द्र कुमार शर्मा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
दौसा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री सतीश कुमार, गिरदावर, कार्यालय उप तहसील सिकन्दरा, जिला दौसा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 203/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

25.5.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक- 1801-05 दिनांक 25.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर कम संख्या-2, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, दौसा।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा।

25.5.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।